


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.नं. 389/2022 शंकरलाल बनाम किशनाराम आदि अन्तर्गत धारा 111,128 आरटीए	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25-08-23	<p>पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष उपस्थित । अवलोकन किया गया । बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से ग्राम रोही महाजन खसरा नम्बर 239 तादादी 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 240 मे 0.20 हैक्टेयर कुल तादादी 0.4000 हैक्टेयर खातेदारी भूमि स्थित थी जिसपर प्रार्थी का कब्जा एवं दखल निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि राजस्व नक्शा मे तरमीमशुदा है तथा तरमीम के अनुसार प्रार्थी का कब्जा एवं दखल चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान श्रीमान नायब तहसीलदार महाजन से विधिवत आदेश लेकर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 20.06.2022 को ग्राम के मौजिज व्यक्तियों एवं खेत पडौसीयों की उपस्थिति मे पुख्ता बिन्दु को आधार मानकर जरीब चला कर सीमाकन करवाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमा चिन्हीत कर सीमा चिन्ह कायम किये गये। प्रार्थी अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि मौजा रोही महाजन के खसरा नम्बर 239,240 तादादी 0.4000 हैक्टेयर भूमि की सीमा पर सीमा चिन्ह स्थापित करवाना चाहता है। जिससे किसी प्रकार का विवाद ना बढे। अतः प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया की ग्राम रोही महाजन खसरा नम्बर 239 तादादी 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 240 मे 0.20 हैक्टेयर कुल तादादी 0.4000 हैक्टेयर खातेदारी भूमि की पत्थरगडी करवाने का आदेश फरमावे जिससे सीमाओं का आपसी विवाद खत्म किया जा सके। वकील अप्रार्थी द्वारा जरिये जवाब प्रार्थना पत्र निवेदन किया गया की प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि रिकॉर्ड की हद तक स्वीकार है शेष कथन स्वीकार नहीं है प्रार्थी का कब्जाकाशत नहीं है। कब्जे के अभाव मे तरमीम गलत की गई है। वादगत भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर स्थित होने के कारण प्रार्थी के मन मे लालच आ गया है इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। पैरोकार राज द्वारा नियमानुसार पत्थर गडी पर सहमति प्रकट की गई।</p> <p>हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। संलग्न फर्द मौका अनुसार नायब तहसीलदार (भू.अ.) महाजन के आदेश की पालना में पटवार हल्का द्वारा दिनांक 20.06.2023 को ग्राम महाजन खसरा नम्बर 239 तादादी 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 240 मे 0.20 हैक्टेयर कुल तादादी 0.4000 हैक्टेयर खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करने मौके पर पहुंच सीमाचिह्न दिये गये जिसके अध्ययन मे किसी प्रकार की विपरीत रिपोर्ट प्रतीत नहीं होती हैं। अप्रार्थी संख्या 1 तरमीम सम्बन्धित विवाद हेतु सक्षम न्यायालय मे वाद पेश कर नियमानुसार निस्तारण हेतु स्वतन्त्र है। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस का मनन कर आदेश दिये जाते है कि नायब तहसीलदार(भू.अ.) महाजन किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा महाजन खसरा नम्बर 239 तादादी 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 240 मे 0.20 हैक्टेयर कुल तादादी 0.4000 हैक्टेयर खातेदारी भूमि के सीवजाड काशतकार को सूचित कर सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगडी करावे । फैसले की प्रमाणित प्रति नायब तहसीलदार (भू.अ.) महाजन को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</p>	

(संजीव कुमार)
जयप्रकाश अधिकारी
लूनकराणसर